राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2221/2010/उदयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बी उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स के. पी. टावर्स, प्रा0 लि0, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 15/02/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बी, उदयपुर (जिसे आगे **'सशक्त अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर द्वारा अपील संख्या 175/वैट/08–09/ में पारित आदेश दिनांक 28.06.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 55, 77, 100 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 44 के तहत कर निर्धारण अवधि दिनांक 02.09.2007 से 01.09.2008 के लिये पारित आदेश दिनांक 25.04.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील जिसमें कर रूपये 1,43,534/– ब्याज रूपये 22,319/– एवं शास्ति रूपये 2,15,368/– कुल रूपये 3,81,221/– की मांग सृजित की गई थी, के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील आंशिक स्वीकार किये जाने के आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को निर्दिष्ट चैकपोस्ट पर कर संग्रहण का ठेका प्राप्त था जिसके विरूद्ध कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुशंषा की जाने पर अतिरिक्त आयुक्त वैट जयपुर ने दिनांक 14.02.2008 को ठेका निरस्त कर दिया था उस आदेश के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा माननीय कर बोर्ड में अपील किये जाने पर माननीय कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 618/2008/उदयपुर में आदेश दिनांक 18.06.2008 पारित कर अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय कर दिया गया था। उक्त निर्णय के अधीन व्यवहारी ने आलौच्य अवधि के लिये धारा 55 व 77 के तहत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.04.2008 को निरस्त कर प्रकरण माननीय

लगातार.....3

कर बोर्ड के निर्णय के अनुसार प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन अपीलीय अधिकारी के समक्ष किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की सुनवाई करने के पश्चात् कर निर्धारण आदेश में आरोपित कर एवं शास्ति को उचित मानते हुए उसे यथावत रखा तथा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 18.06.2008 के इसी मामले में निर्णय के आलोक में पुनः आदेश पारित किये जाने के निर्देश देते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी राजस्व के उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय आदेश दिनांक 28.06.2010 अनुचित है तथा ठेकेदार को जमा करायी गयी राशि पर कमीशन दिये जाने का जो निर्देश दिया गया है वह अविधिक है क्योंकि व्यवहारी ने शर्तों के मुताबिक ठेका अवधि में कार्य नहीं किया था एवं सहीं हिसाब प्रस्तुत नहीं किया था अतः अपीलीय आदेश निरस्त कर कर निर्धारण आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए।

5. एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

6. अपीलाधीन अपीलीय आदेश में केवल दो बिन्दुओं पर निर्णय दिया गया है प्रथम यह कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अप्रस्तुत रसीद बुकों पर अनुमान के आधार पर जो कर एवं शास्ति आरोपित की थी उसे यथावत रखा गया जबकि दूसरे बिन्दु पर यह निर्णीत किया है कि अतिरिक्त आयुक्त वैट जयपुर के आदेश दिनांक 14.02.2008 को माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा दिनांक 18.06.2008 को निरस्त कर दिया है एवं प्रकरण माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा विशिष्ट निर्देशों के साथ कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है अतः माननीय कर बोर्ड के आदेशों की पालना करने का जो निर्देश अपीलीय अधिकारी ने दिया है उसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं है बल्कि पूर्णतया विधिसम्मत आदेश किया गया है अतः अपीलीय आदेश में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से इसकी पुष्टि की जाती है।

7. फलतः राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

15/2/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य